

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूनी जिला टोंक राज0

( श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी दूनी द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :- 115/2020

निर्णय दिनांक :- 15.12.2023

उनवानी दावा:

सुनिल पहाडिया पुत्र जगदीश पहाडिया जाति खटीक उम्र बालिग निवासी घाड़  
तहसील दूनी जिला टोक राज0  
-वादी-

बनाम

1. ममतादेवी पत्नि हेमराज जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कलां  
तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. हेमराज पुत्र मोती जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कलां तहसील  
दूनी जिला टोंक राज0
3. सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कला  
तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. उप पंजीयक महोदय, दूनी जिला टोक
5. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील दूनी जिला टोक राज0

-प्रतिवादीगण-

उपस्थिति :-

श्री आलोक कुमार शर्मा  
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध  
विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

### दावा बंटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 21.07.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूनी में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी ने अन्तिम बहस में कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट को मय नक्शा ट्रेस सही बताया है, मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक भू अ./2023/3711 दिनांक 29.09.2023 का अवलोकन किया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

ए


अतः जमाबंदी सम्वत 2071-74 खाता संख्या 278 ख. नं. 517 रकबा 1.69 है०, कुल खाता-01, कुल रकबा 1.69 है० वाके ग्राम ठिकरिया कलां पटवार हल्का ठिकरिया कलां तहसील दूनी में तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एकपक्षीय अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	किस्म	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	ममता पत्नी हेमराज बैरवा सा. देह खातेदार राहिन बी.आर.के. जी.बी शाखा देवली नक्शा ट्रेस में नीले बॉल पेन के रंग से दर्शित	517	बा. 1	0.8450	6.76
	योग	किता-1		0.8450	6.76
2	सुनिल पुत्र जगदीश पहाड़िया जाति खटीक सा. घाड़ खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन के रंग से दर्शित	517 मि.	बा. 1	0.8450	6.76
	योग	किता-1		0.8450	6.76

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की हिस्से की खातेदारी भूमि में कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व मदामहत नहीं करे। वाद की पालना तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.12.2023 को सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
दूनी

अंतिम डिक्री

**डिक्री मुकदमा इबतदाई**

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीणा उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

सुनिल पहाडिया पुत्र जगदीश पहाडिया जाति खटीक उम्र बालिग निवासी घाड़  
तहसील दूनी जिला टोक राज0 -वादी-

**बनाम**

1. ममतादेवी पत्नि हेमराज जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कलां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. हेमराज पुत्र मोती जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कलां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी ठिकरिया कला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. उप पंजीयक महोदय, दूनी जिला टोक
5. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील देवली जिला टोक राज0

**-प्रतिवादीगण-**

**दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

मुकदमा नं. 115 सन् 2020


यह मुकदमा आज वारस्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि

**आदेश**

जमाबंदी सम्वत 2071-74 खाता संख्या 278 ख. नं. 517 रकबा 1.69 है0, कुल किता-01, कुल रकबा 1.69 है0 वाके ग्राम ठिकरिया कलां पटवार हल्का ठिकरिया कलां तहसील दूनी में तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एकपक्षीय अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार दूनी की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	किस्म	रकबा हैक्टेयर में	लगान
----------	-------------	--------	-------	-------------------	------



	ममता पत्नी हेमराज बैरवा सा. देह खातेदार राहिन बी.आर.के. जी.बी शाखा देवली नक्शा ट्रेस में नीले बॉल पेन के रंग से दर्शित	517	बा. 1	0.8450	6.76
	योग	किता-1		0.8450	6.76
2	सुनिल पुत्र जगदीश पहाड़िया जाति खटीक सा. घाड़ खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल बॉल पेन के रंग से दर्शित	517 मि.	बा. 1	0.8450	6.76
	योग	किता-1		0.8450	6.76

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की हिस्से की खातेदारी भूमि में कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व मदामहत नहीं करे। वाद की पालना तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....  
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज  
की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।  
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 12 सन् 2023  
को जारी किया गया।

दस्तख्त .....  
.....

ओहदा .....

मुहर

मुददर्ई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।